

107 द० प्र० स० वाफ्डी अफिसर

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

अमित सिंह
बनाम

M-65/2017 आदेश पत्रक

मंगल कारखला को

15/7/17

अभिलेख संख्या :- एम. 65 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

231
15/7/17

थाना प्रभारी कारा के अप्राथमिकी संख्या :- 9/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

सुनिश्चित

की लक्ष्य

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः, मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 31/7/17 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

14/5/18 उमय पल अनुपलिन) पुता: दि. 5/5-1/18 अ
ररन

15/5/18 उमय पल अनुपलिन) पुता: दि. 16/5-1/18
का ररन

16/5/18 नातिना अयापु) पुता: दि. 30/5-1/18 अ
ररन

160
16/5/18

30/5/18 लामिला अयापु। दिनांर 6/6/18 का [के]

6/6/18 लामिला अयापु। दिनांर 13/6/18 का [के]

13/6/18 लामिला अयापु। दिनांर 20/6/18 का [के]

20/6/18 लामिला अयापु। दिनांर 27/6/18 का [के]

३.

27.6.18 उमय पल ह्यापुवाड मे रुनि नही लेने एवं समया
वधि समाप्त लेने के कावा अग्रेरु कार्रवाही
ले रुनि या मात्र है। उमय पल को अकरार करणे

27/6/18